

**बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग।**

प्रेषक- परियोजना प्रदायिका-साह-अपर निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में- नगर आयुक्त,
सभी नगर निगम,
कार्यालयक प्रदायिका,
सभी नगर परिषद एवं नगर पंचायत।

20/11/20
Sin
20/11/20

विषय- नगर निकायों में गठित Town Vending Committee द्वारा Street Vendor Charter प्रकाशित किये जाने के संबंध में।

पटना, दिनांक-20/11/20

महत्त्व- निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम 2014 के धारा 26 (1) के अनुपालन में नगर निकायों में गठित Town Vending Committee द्वारा Street Vendor Charter तैयार कर प्रकाशित किया जाना है। चार्टर में मुख्यतः निकायों में वर्णित अधिनियम के तहत सर्वसित फुटपाथ विक्रेताओं के पंजीकरण, पहचान पत्र एवं विक्रय प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने तथा इस हेतु शुल्क आदि के प्रावधान के संबंध में तय समय सीमा का उल्लेख किया जाता है।

अतः Street Vendor Charter का प्रारूप संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इसे अपने निकाय स्तर से अविलम्ब प्रकाशन कताने की कृपा की जाय।

(31.10.2019)

विरासतपत्र,

Kulsh
परियोजना प्रदायिका-साह-अपर निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

फुटपाथ विक्रेता चार्टर

पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम 2014, की धारा 26 के अंतर्गत नगर विक्रय समिति, **दुपरा** नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत द्वारा पथ विक्रेता से संबंधित क्रियाकलापों को विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर किए जाने हैं।

क्र. सं.	सेवारें	अपेक्षित दस्तावेज (प्रतिनिधि)	फीस	समयावधि	अधिकृत अधिकारी	अधिकृत अधिकारी जो सेवा में विजय का मद्देनहीं हेतु संपर्क किये जा सकें
1.	पंजीकरण	1. परीवार का फोटो 2. फुटपाथ विक्रेता का फोटो 3. आधार कार्ड की प्रतिलिपि 4. मोबाइल App के द्वारा GIS आधारित सर्वेक्षण	निशुल्क	7 दिन	सामूहिक समन्वयक / नगर निगम प्रबन्धक	नगर आयुक्त/कार्यपालक प्रदायिका या अधिकृत अधिकारी
2.	फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र का जारी करने हेतु	1. S.U.L.M बैचसाइट पर सर्वेक्षण की उपलब्ध विवरणी	निशुल्क	सर्वेक्षण में परिहित फुटपाथ विक्रेताओं को सर्वेक्षण की तिथि से छ महीने की अधिकतम अवधि के भीतर निर्गत किया	नगर निगम प्रबन्धक	नगर आयुक्त/कार्यपालक प्रदायिका या अधिकृत अधिकारी

क्र. सं.	सेवारें	अपेक्षित दस्तावेज (प्रतिनिधि)	फीस	समयावधि	अधिकृत अधिकारी	अधिकृत अधिकारी जो सेवा में विजय का मद्देनहीं हेतु संपर्क किये जा सकें
5.	फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र अथवा विक्रय प्रमाण पत्र duplicate निर्गत करने हेतु	1. नगर निकाय कार्यालय में उपलब्ध अथवा शता/दस्तावेज के आधार पर	50/रु	7 दिन	नगर निगम प्रबन्धक	नगर आयुक्त/कार्यपालक प्रदायिका या अधिकृत अधिकारी

अध्याय,
नगर विक्रय समिति
दुपरा नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत।

क्र. सं.	सेवारें	अपेक्षित दस्तावेज (प्रतिनिधि)	फीस	समयावधि	अधिकृत अधिकारी	अधिकृत अधिकारी जो सेवा में विजय का मद्देनहीं हेतु संपर्क किये जा सकें
3.	विक्रय प्रमाण पत्र का जारी करने हेतु	1. S.U.L.M बैचसाइट पर सर्वेक्षण की उपलब्ध विवरणी	निशुल्क	जाने हे। सर्वेक्षण में परिहित फुटपाथ विक्रेताओं को सर्वेक्षण की तिथि से छ महीने की अधिकतम अवधि के भीतर निर्गत किया जाना है।	नगर निगम प्रबन्धक	नगर आयुक्त/कार्यपालक प्रदायिका या अधिकृत अधिकारी
4.	पथविक्रय पत्र पर फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र अथवा विक्रय प्रमाण पत्र नवीकरण हेतु	1. पुराना निर्गत फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र अथवा विक्रय प्रमाण पत्र एवं नवीकरण आई द्वारा किए गए पंजीकरण के आधार पर	विक्रय प्रमाण पत्र का नवीकरण हेतु 500/रु.	छ महीने के अंदर	नगर निगम प्रबन्धक	नगर आयुक्त/कार्यपालक प्रदायिका या अधिकृत अधिकारी